अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

अशोक कुमार पुत्र स्व॰ श्री बाल कुष्ण जाति मीना निवासी प्लाट नम्बर 107, शिव गौ रक्षा नगर, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

सरोज बाई पुत्री रमेश चन्द मीना निवासी गॉव पोस्ट राजपुर, तहसील कतूमर जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 09.05.2024 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 53/2023 ब उनवानी अशोक कुमार बनाम सरोज बाई मीना

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 14.11.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 53/2023 ब उनवानी अशोक कुमार मीना बनाम सरोज बाई मीना में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2024 से व्यथित हो कर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी की पत्नी की हत्या प्रत्यर्थिया के द्वारा दिनांक 02.08.2022 को भिण्डी की सब्जी में जहर देकर कर दी गई थी । जिसकी एफ आई आर 307/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 120 बी भा॰द॰स॰ में दर्ज कराई जा चुकी है जिसका अन्तिम परिणाम न्यायालय द्वारा दिया जाना है। ऐसी स्थिति में जहां प्रत्यर्थिया पर अपीलार्थी की पत्नी की हत्या का गम्भीर आरोप है, अपीलार्थी के रहवास के घर में रहे तो निश्चित रूप से अपीलार्थी की जान माल को खतरा है। अपीलार्थी उक्त पते का स्थायी निवासी है एवं अपीलार्थी ने प्लाट नम्बर 107, गौ रक्षा नगर, मॉडल टाउन जयपुर का प्लाट स्व अर्जित आय से क्रय कर स्व अर्जित आय से ही

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण कराया है। जिसमे किसी परिवार के सदस्य व पूर्वज का कोई सहयोग व सरोकार नहीं रहा है। परिवाद मे अनुतोष संख्या "क" के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रत्यर्थिया श्रीमती सरोज का विधिक दायित्व अपीलार्थी का नही है, इसलिए प्रत्यर्थिया अपीलार्थी के उक्त स्व अर्जित आय से निर्मित मकान में प्रवेश करने व रहवास करने का अपीलार्थी की सहमति के बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इन विधिक तथ्यों के समर्थन में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त सुरेश शर्मा बनाम धनवती शर्मा सिविल अपील रिट पीटीशन नम्बर 6089/2019 राकेश लीलाधर सोनी व अन्य बनाम श्रीमती प्रेमलता लीलाधर ए आई आर 2020 पेज 27 एवं संदीप गुलाटी बनाम डिवीजनल कमिश्नर रिट पीटीशन नम्बर 2761/2020 माननीय देहली उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अन्तिम बहस से पूर्व अपनी साक्ष्य में दस्तावेजों के साथ साक्ष्य का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें एनेक्जर 1 लगायत 13 दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की थी। लेकिन अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर कोई गौर नहीं कर गम्भीर भूल की है। अपीलार्थी ने पुलिस के समक्ष दौराने अनुसंधान इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य पेश की लेकिन पुलिस ने प्रत्यर्थिया के राजनैतिक प्रभाव से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य को रिकार्ड पर नहीं लिया ताकि प्रत्यर्थिया को दण्ड से बचाया जा सके। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थिया के विरूद्व दर्ज कराई गई रिपोर्ट के तथ्यों को परिस्थिति जन्य साक्ष्य से जोड़ा जा कर ही आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है। समस्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य अपीलार्थी ने पुलिस को उपलब्ध कराई लेकिन उन पर पुलिस द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया, बल्कि गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व नहीं किये गये। जबकि प्रत्यर्थिया के बचाव के हितबद्व गवाहान को स्वतंत्र गवाहान बताया गया। अपीलार्थिया पर सीधे आरोप को स्पष्ट करने के लिए अपीलार्थी ने एफ आई आर नम्बर 307/2022 के अनुसंधान अधिकारी को अपीलार्थी व अपीलार्थी के घर में दिनांक 02.08.2022 को निवास कर रहे सभी व्यक्तियों के पोलीग्राफ टैस्ट के लिए प्रार्थना की ताकि वास्तविक आरोपी तक पहुंचा जा सके। उसके पश्चात परिस्थिति जन्य साक्ष्य को रिकार्ड पर लिया जा सके। अपीलार्थी की प्रार्थना पर अनुसंधान अधिकारी ने सक्षम न्यायालय के समक्ष पोलीग्राफ टैस्ट के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें अपीलार्थी व अपीलार्थी के पुत्र राहुल ने पोलीग्रॉफ टैस्ट के लिए सहमति दी एवं निवेदन किया कि न्याय प्राप्ति के लिए वे किसी भी प्रकार का टैस्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रत्यर्थिया ने पोलीग्राफ टैस्ट देने से इन्कार कर दिया जो यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यर्थिया ने ही अपीलार्थी की पत्नी को जहर दे कर मारा है। उक्त न्यायालय की आदेशिका एनेक्जर–3, अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश की गई थी, जिसका पुलिस ने अपने अनुसंधान में कहीं अंकन नहीं किया। जबकि यह उप धारणा कायम करने की स्थिति है कि जब तक प्रत्यर्थिया अपने आप को बेकसूर साबित न करें लेकिन उक्त बिन्दू पर भी अधीनस्थ अधिकरण ने कोई गौर न कर गम्भीर कानूनी भूल की है। अपीलार्थी ने दिनांक 02.08.2022 की अपीलार्थी के घर की सी सी टी वी फुटेज की रिकार्डिग, मृत्यु से पूर्व व पश्चात की गई वार्तायें पुलिस व अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उन पर ना तो अनुसंधान अधिकारी ने कोई अनुसंधान किया और ना ही अधीनस्थ अधिकरण ने ही उन पर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

गौर किया। अपीलार्थी के अनुतोष संख्या "ख" लगायत "घ" को विद्रो करता है तथा अनुतोष "क" की प्रार्थना स्वीकार किये जाने का अनुरोध करता है। अतः अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थिया के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.08.2022 को एक एफ आई आर संख्या 307/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 302 व 120 बी भा॰द॰स॰ में पुलिस थाना मालवीय नगर में दर्ज करवाई थी। उक्त एफ आई आर में पुलिस थाना मालवीय नगर द्वारा अनुसंधान पूर्ण करते हुये आरोपों की पुष्टि नहीं होने से एफ आर लगा दी। अपीलार्थी द्वारा अपने पुत्र का अन्य लड़की से विवाह करवाने के लिए प्रत्यर्थिया के खिलाफ उक्त झूंठा इल्जाम लगा कर प्रत्यर्थिया को दबाव में ले कर छोडना चाहता है। प्रत्यर्थिया उस समय नव प्रसूता की मॉ थी तथा तबीयत खराब थी। पोलीग्राफ टैस्ट कराने से प्रत्यर्थिया को उसके डाक्टर्स इत्यादि ने परिस्थितिवश मना किया था जो कि प्रत्यर्थिया का अधिकार था। उक्त टेस्ट हेतु किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों कि उक्त टैस्ट से प्रत्यर्थिया की उस स्थिति में दुष्प्रभाव होता और शरीर में अनेक विकार होते तथा दुध मुंहे बच्चो पर भी बुरा असर पडता। पोलीग्राफ टेस्ट नहीं कराने से प्रत्यर्थिया को इस आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। उक्त टैस्ट हेतु बाध्यता नहीं है। अपीलान्ट प्रत्यर्थिया को जबरन उक्त प्रकरण में फंसाना चाहता है जो कि उसने किया ही नहीं और ना ही उक्त प्रकरण से प्रत्यर्थिया का कोई लेना देना है। क्योंकि नारकोटिक्स एनालिसिस, ब्रेनमेकिंग, पोलीग्राफ टेस्टिंग संदिग्ध अनावश्यक व्यक्ति गवाहों पर बिना उसकी अनुमति के नहीं किया जा सकता। अगर बिना अनुमति के किया जाता है तो वह असंवैधानिक एवं उनकी राईट टू प्राईवेसी का उल्लंघन है। इस मैटर में माननीय सी जे आई श्री के जी पाल बाल कृष्ण एवं अन्य न्याय मूर्ति आर बी रविन्द्र एवं न्यायमूर्ति श्री जे एम पंचाल ने संयुक्त रूप से कहा था कि हम मानते है कि किसी को भी आपराधिक जांच के सन्दर्भ में या अन्यथा किसी भी प्रकिया का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिये। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक अनुचित अनुसंधान होगा । यदि परिक्षण निष्कर्ष जबरदस्ती के माध्यम से प्राप्त किये गये है तो उन्हें साक्ष्य दर्ज नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 20(3) किसी व्यक्ति के बोलने या चुप रहने के अधिकार की रक्षा करता है भले ही बाद में गवाही, अभियोजन, अभियोगात्मक या दोषात्मक हो तथा नेशनल ह्यूमन राईट कमिशन एन एन आर सी ने भी पोलीग्राफ टेस्ट हेतु पत्र संख्या 117/8/998–8 दिनांक 11.01.2020 द्वारा दिये गये है कि बिना स्वतंत्र सहमति के उक्त टेस्ट नही कराया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्यर्थिया सर्वथा निर्दोष होने एवं उक्त घटना से कोई लेना देना नहीं होने के कारण स्वयं का पोलीग्राफ टेस्ट कराने की अस्वीकृति दी थी जो कानूनन विधिक अधिकार के तहत दी थी। अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त नजीर इत्यादि को मध्य नजर रखते हुये ही अपना कानून सम्मत निर्णय दिया था जो कि न्याय संगत था। अपीलार्थी द्वारा अपने परिवाद के अनुतोष संख्या "ख" लगायत "घ" को विद्रो करने की सूचना उक्त दावा स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य तथा अनुतोष संख्या "क" अपनी बहु के विरूद्ध ससुर अनुतोष प्राप्त करने का प्रस्तुत परिवाद की धाराओं में कतई प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थिया को घर से निकाल कर स्वयं अपनी

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्तियों का उपयोग उपभोग कर रहा है तथा पेंशन भोगी सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी है, जिससे वह अपना भरण पोषण बखूबी कर सकता है। अपीलार्थी यदि किसी प्रकार की भरण पोषण राशि मांग करने का अधिकारी है तो वह अपने पुत्र से भरण पोषण राशि की मांग कर सकता है प्रत्यर्थिया पुत्र वधु से नहीं। अतः अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

उभय पक्ष की ओर से बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी ने आई.पी.सी. की धारा–302 व 120 बी, के तहत दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. के आधार पर प्रत्यर्थिया को अपनी स्व–अर्जित सम्पत्ति से बेदखल करने एवं भरण पोषण की राशि की मांग की गई है। जिसमें भरण पोषण की राशि की मांग को अपील में सिद्ध करना चाहता है। अपीलार्थी ने अपनी धर्मपत्नी की हत्या की रिपोर्ट प्रत्यर्थिया पुत्रवधु के विरूद्ध पुलिस थाना मालवीय नगर में एफ.आई.आर. संख्या 307/2022 अन्तर्गत धारा–302 व 120 बी भा.द.स. दर्ज करवाई है। जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई है, जिसका परिणाम न्यायालय द्वारा दिया जाना है। अपीलार्थी द्वारा अपनी पुत्रवधु के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है वह भा॰द॰स॰ की धारा–302 व 120 बी के तहत है, जिसकी अनुसंधान का क्षेत्राधिकार पुलिस का है तथा सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य सिविल न्यायालय को है, इस अधिकरण को नहीं। अपीलार्थी द्वारा पुत्र से नहीं बल्कि अपनी पुत्रवधु से भरण पोषण की राशि दिलाये जाने की मांग की गई है। अधिनियम में पुत्र के रहत हुये पुत्रवधु से भरण पोषण की राशि दिलाये जाने को कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी भारतीय रेल्वे से सेवा निवृत्त अधिकारी है जिसे पर्याप्त मात्रा में पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा मिलती है। अतः अपीलार्थी को प्रत्यर्थिया पुत्रवधु से भरण पोषण राशि दिलाये जाने का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने भा॰द॰स॰ की धारा–302 व 120 बी के तहत दर्ज एफ.आई.आर. के आधार पर अपनी प्रत्यर्थी पुत्रवधु को घर से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के निवास का जो पता अंकित किया गया है वह अपीलार्थी के पते से भिन्न है। पक्षकारान के मध्य मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, वही से अपीलार्थी को अनुतोष प्राप्त होगा। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इसी आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2024 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner